भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - *348
उत्तर देने की तारीख: 25.03.2025

एडीआईपी योजना

*348. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडीआईपी) योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल प्राप्त करने के लिए 80 प्रतिशत दिव्यांगता अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा 42 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिव्यांगजनों को उद्योग एवं व्यवसाय करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारित विशेष प्रावधानों का ब्यौरा क्या है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाया जा सके क्योंकि ये लोग शारीरिक कमजोरी के कारण दूसरों पर निर्भर होते हैं;

(घ) दिव्यांगजनों को व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनडीएफडीसी) द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिव्यांगजनों को विद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किए गए विशेष प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)
(क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"एडिप योजना" के संबंध में श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा पूछे गए दिनांक 25.03.2025 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *348 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): जी, हां। एडिप योजना के तहत कम से कम 80% दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को मोटर चालित तिपहिया प्रदान करने का प्रावधान है। हालांकि, समग्र शिक्षा अभियान (एडिप-एसएसए के प्रावधान के अंतर्गत) के अभिसरण में एडिप योजना के तहत, कक्षा 9 से कक्षा 12 में अध्ययनरत न्यूनतम 16 वर्ष की आयु वाले कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले स्कूल जाने वाले छात्रों को मोटर चालित तिपहिया प्रदान की जाती है।

(ग) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाने और उन्हें रोजगार प्राप्त करने, आत्मनिर्भर बनने, समाज के लिए उपयोगी एवं राष्ट्र के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाने के लिए - 'दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' (एनएपी-एसडीपी) कार्यान्वित कर रहा है।

(घ) नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डिवलेपमेंट कारपोरेशन (एनडीएफडीसी) देश भर में दिव्यांगजनों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। अपनी भागीदार एजेंसियों के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए एनडीएफडीसी की दो फ्लैगशिप (प्रमुख) योजनाएं हैं-

(i) <u>दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (डीएसवाई)</u>: यह एक वैयक्तिक केन्द्रित योजना है जिसमें दिव्यांगजनों को आय सृजन कार्यकलापों, उच्च शिक्षा/व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त सहायक उपकरणों के खरीद के लिए भी इस योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत ऋण की सीमा 50 लाख रूपये है।

(ii) <u>विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई):</u> इस योजना का कार्यान्वयन देश में दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास के लिए स्व-सहायता समूहों और विभिन्न भागीदार एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के तहत, लघु/सूक्ष्म व्यवसाय और विकासात्मक गतिविधियों के लिए शीघ्र और आवश्यकता आधारित ऋण प्रदान करने के लिए रियायती ब्याज दर पर प्रत्येक दिव्यांगजन को 60,000/- रुपये तक उपलब्ध कराया जाता है।

(ङ) यह विभाग दिव्यांगजनों को व्यावसायिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

(1) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) – इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने और उनकी क्षमता को साकार करने की दृष्टि से प्रारंभिक हस्तक्षेप, दैनिक जीवन कौशल के विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण सहित, दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए आवश्यक सेवाओं की पूरी श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, विशेष रूप से शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है।

(2) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाने और उन्हें रोजगार प्राप्त करने, आत्मनिर्भर बनने, समाज के लिए उपयोगी एवं राष्ट्र के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाने के लिए - 'दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' (एनएपी-एसडीपी) कार्यान्वित कर रहा है।

(3) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति :- वर्तमान में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' नामक एक व्यापक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस व्यापक छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को अपनी आजीविका कमाने और समाज में एक सम्मानजनक स्थान पाने के लिए उन्हें आगे की पढ़ाई करने हेतु सशक्त बनाना है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करने और गरिमा के साथ जीने में शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस व्यापक छात्रवृत्ति योजना - 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' में छह घटक शामिल हैं:

i. प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए)

ii. पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए)

iii. उच्च श्रेणी शिक्षा (शिक्षा में उत्कृष्टता वाले अधिसूचित संस्थानों में स्नातक की डिग्री / स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा के लिए)

iv. राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल/पीएचडी के लिए)

v. राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति (विदेश में विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री / डॉक्टरेट के लिए)

vi. नि: शुल्क कोचिंग (समूह ए, बी और सी के लिए भर्ती परीक्षा तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु) ।

*****